## Hindi Update on Rule 89(4)( C) CGST

COVID-19 के कारण सीबीएसई (CBIC) द्वारा एक नोटिफिकेशन नंबर 16/2020-Central Tax Dated 23.03.2020 जारी किया गया इसके अंतर्गत Rule 89(4)(C) को इसमें add किया गया है इसको point wise नीचे समझा रहे हैं :-

1. एक्सपोर्टर द्वारा अपना माल विदेशों में एक्सपोर्ट Under Letter of Undertaking/ Bond द्वारा किया जाता है इसमें जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एकत्रित होती है उसका एक्सपोर्टर Refund फाइल करता है| इस Rule में गवर्नमेंट द्वारा एक संशोधन किया गया है जिसमें Clause 89(4)(C) को add किया गया है| इस Rule के तहत एक्सपोर्टर यदि अपना माल domestic market में Sell करता है तो निर्यात किए गए माल का valuation 1.5 times of Domestic मार्केट में बेचे गए माल की value का होगा। जिसको हम निम्नलिखित उदाहरण से समझा रहे हैं :

   मैन्युफैक्चर किसी वस्तु की एक इकाई ₹10000 में डोमेस्टिक (Domestic) में सेल करता है तथा वह एक्सपोर्ट भी करता है। अगर उसने एक्सपोर्ट LUT के अंतर्गत किया है तथा unutilised credit का proportionate refund भी लगाया है तो इस Rule के अंतर्गत उसका valuation 15000 माना जाएगा| अगर उसके एक्सपोर्ट में गए माल की कीमत 20000 रुपए है तो भी इसे ₹15000 ही माना जाएगा। इस प्रकार मैन्युफैक्चर 10 इकाई एक्सपोर्ट करता है तो उस की value Rs.200000/- होगी परंतु इस Rule के कारण उसके एक्सपोर्ट गुड्स का मूल्यांकन Zero Rated Turnover हेतु Rs.150000/- माना जाएगा| अतः रिफंड के लिए फार्मूले में डेढ़ लाख रुपए का ही प्रयोग होगा।

2. गवर्नमेंट ने CGST Rules में तो अमेंडमेंट कर कर दिया है जबकि सेक्शन में इसका किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं दिया है। अतः यह Provision Ultra Virus तथा void abintio माना जाएगा | इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रोविजन कानूनी रूप से सही नहीं माना जाएगा|

3. सरकार ने Zero Rates Exports का मूल्यांकन 1.5 डॉमेस्टिक के हिसाब से कर दिया है परंतु इसको Adjusted Total Turnover मैं इफेक्ट नहीं दिया गया है अतः इस प्रोविजन से एक्सपोर्टर को रिफंड क्लेम कम मिलेगा| इसको भी एक उदाहरण से समझा जा सकता है:-

ऊपर वाले उदाहरण में ही उसका डोमेस्टिक टर्नओवर ₹15,000 है। एक्सपोर्ट टर्नओवर

₹2,00,000/- होगा परंतु उसकी value डेढ़ लाख रुपए मानी जाएगी। अगर उसने ₹1,00,000/- की credit ली है तो refund फार्मूला इस प्रकार होगा:-

Credit taken/ total turover X export turnover=

1,00,000/ 215000X1,50,000

= 69767.

अगर यह पुराने पीरियड में refund फाइल होता तो तो इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार होती:-

1,00,000/2,15,000X2,00,000= 93023/-

इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमें कितना कम refund मिलेगा।

4. उपरोक्त Provision किस आधार पर बनाया गया है इसका अभी तक एक्सपोर्टर को समझ में नहीं आ रहा है। यह डेढ़ गुना क्यों रखा गया है दुगना या तिगुना क्यों नहीं रखा गया है? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसको करने का आधार क्या है यह भी नहीं बताया गया है। सरकार ने कोविड-19 उत्पन्न स्थिति में उद्योग व्यापार जगत की पूर्ण सहायता की है। ऐसे समय में यह कदम, जिससे exporter का रिफंड कम हो जाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।हम सरकार से आशा करते हैं कि इस प्रोविजन को जल्द से जल्द हटावे या इसमें जल्द से जल्द सुधार करावे|

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.